14/6/2024

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बाबत् सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपना सहमती पत्र पेश किया। अप्रार्थी हस्ताक्षर किये। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 5013 रकबा 1.90 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा. पत्र 199/2024

निर्णय दिनांक 14.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश किया जाता है कि **राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 5013 रकबा 1.90 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2018 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें** तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.03 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner